डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
मोहान रोड, लखनऊ: 226 017 दूरभाष नं0–8004930056/0522-2999862/3/2998380/1/2/3294434 वेबसाइट: http://dsmru.up.nic.in

द्वारा:–ई–मेल/अनुस्मारक पत्र/महत्वपूर्ण

दिनांक 22.09.2017

आवश्यक–सूचना

1 प्रबन्धक/प्राचार्य, कल्याणं करोति, मथुरा।
2 प्रबन्धक/प्राचार्य, ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, मुसाफिरखाना, अमेठी।
3 प्रबन्धक/प्राचार्य, बलराम महाविद्यालय, सिरहिर मेजा, इलाहाबाद।
4 प्रबन्धक/प्राचार्य, प्रमिला कटियार स्पेशल एजूकेशन इन्स्टीटयूट, कानपुर देहात।
5 अध्यक्ष/प्राचार्य, सेण्ट्रल वीमेन्स कॉलेज ऑफ एजूकेशन, लखनऊ।
6 प्रबन्धक/प्राचार्य, मॉ बलिराजी सेवा संस्था, मीरजापुर।
7 प्रबन्धक/प्राचार्य, मॉ बलिराजी सेवा संस्था, इलाहाबाद।
8 अध्यक्ष/प्राचार्य, नई सुबह संस्था, वाराणसी।
9 प्रबन्धक/प्राचार्य, कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज, इलाहाबाद।
10 प्रबन्धक/प्राचार्य, हिन्द महाविद्यालय, बाराबंकी।
11 प्रबन्धक/प्राचार्य, स्वामी विवेकानन्द लॉ कॉलेज, लखनऊ।
12 डीन एवं प्राचार्य/कुलसचिव, टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।

विषय–सम्बद्ध संस्थाओं/महाविद्यालयों द्वारा तत्काल निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में।

एतद्द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थाओं को यह सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार बिन्दुओं पर तत्काल निस्तारण कराते हुए सूचित करने का कष्ट करें:–

- सम्बद्धता आदेश के अनुसार अनिवार्य/अपेक्षित Endowment Fund जमा करते हुए विश्वविद्यालय में संगत अभिलेख मूल रूप में जमा किया जाय (सम्बद्धता गाइड लाइन के बिन्दु संख्या–6 एवं 11.6 के अनुसार)।
- सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा समस्त मूलभूत अवस्थापना यथा बिल्डिंग, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, क्लासरूम, प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची, फैकल्टी/शिक्षकों एवं प्राचार्य आदि की शैक्षिक योग्यता, पता, ई–मेल एवं मोबाइल–नम्बर के विवरण सहित सूची, सम्बद्ध संगत पाठ्यकम/पाठ्यकमों के सम्बद्धता आदेश एवं संगत विनियामक संस्थान द्वारा निर्गत अनुमोदन संबंधी पत्र इत्यादि को वेबसाइट पर अपलोड किया जाय जिसका लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट से किया जाय।
- समस्त शिक्षकों की संयुक्त हस्ताक्षरित स्टिलफोटोग्राफ को भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाय तथा विश्वविद्यालय को भी तत्काल प्रेषित की जाय।
- सम्बद्ध संस्थाओं/महाविद्यालयों द्वारा वेबसाइट का नियमित अनिवार्य रूप से संचालन किया जाय, उच्चाधिकारयों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण की स्थिति में यदि अन्यथा की स्थिति पाई जाती है तो किसी प्रकार की दण्डात्मक/अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संगत संस्था/महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायीं होंगे।
- सम्बद्धता आदेश के अनुसार संगत संस्था/महाविद्यालयों द्वारा प्रबन्ध समिति, शिक्षकों एवं प्राचार्य आदि का विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, तत्कम में संगत संस्थाओं/महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये संगत वांछित सूचना/अभिलेखों में अपूर्णता या विसंगति है, जिसकी सूचना समय–समय पर आपको ई–मेल/दूरभाष के माध्यम से दी गई है परन्तु संदर्भगत् प्रकरण पर कार्यवाही अपेक्षित है। अतः विश्वविद्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सुसंगत अभिलखों एवं स्पष्ट सूचना विश्वविद्यालय को तत्काल प्रेषित करें ताकि अनुमोदन की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की दण्डात्मक/अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संगत संस्था/महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायीं होंगे।

(बिन्दू त्रिपाठी)
समन्वयक, सम्बद्धता

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. स्टाफ ऑफिसर, कुलपति, विश्वविद्यालय को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
3. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(बिन्दू त्रिपाठी)
समन्वयक, सम्बद्धता